



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1942 (श10)

(सं0 पटना 125) पटना, मंगलवार, 23 फरवरी 2021

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
20 फरवरी 2021

सं० जी/सेना-05-06/2017-1326—युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम 5, 1938) की धारा 9 की उप धारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक- 29.09.2020 से आरंभ होने वाली और 28.09.2030 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-(1) के अपेक्षानुसार उक्त क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में, परिभाषित करने वाली अधिसूचना सं०- 5058 दिनांक- 29.09.2020, जिसके भीतर 29.09.2020 से आरंभ होने वाली और 28.09.2030 को समाप्त होने वाली 10 (वर्षों) की अवधि के दौरान आवधिक रूप से मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास किया जा सकता है, दिनांक- 01.10.2020 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है तथा उक्त उप धारा (3) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना के जारी करने का अभिप्राय प्रकाशित करने वाली अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के बिहार गजट के असाधारण अंक में अधिसूचना सं०- 6796 दिनांक- 18.12.2020 के द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

अनुसूची-1

भू-क्षेत्र का ब्योरा/चौहद्दी

ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामा घाट, पटना स्थित 100 मीटर बैफल फायरिंग रेंज की लम्बाई 100 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। जिसकी चहार दिवारी लगभग 30 फीट ऊँची है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी अवस्थित है। दक्षिण दिशा में कोई आबादी नहीं है। दक्षिण दिशा में सिखारीचक ग्राम लगभग 100 मीटर की दूरी पर

अवस्थित है। पूर्वी भाग में सी0आर0पी0एफ0 कैंप अवस्थित है एवं पश्चिम भाग में शवदाह गृह, गार्ड रुम, छतदार बैठका एवं परती भूमि बाग 01 कि0मी0 पर अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि सी0आर0पी0एफ0 कैंप, मोकामा घाट को रेलवे विभाग से प्राप्त है, जिसका खतियानी विवरण निम्नवत् है :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	किस्म जमीन
सिखारीचक	26	205	1 एवं 4	2.97 एकड़	कैसर-ए-हिन्द, खन्ता रेलवे

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

20 फरवरी 2021

सं० जी/सेना-05-06/2017-1326—का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

The 20th February 2021

S.O. G/Sena-05-06/2017- 1326—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 9 of the Maneuvers, Field Firing and Artillery Practices Act, 1938 (Act 5 of 1938), the Governor of Bihar is pleased to authorize, during the period commencing from the 29.09.2020 and ending on the 28.09.2030, the carrying out of Field Firing and artillery practice throughout the area described in the schedule hereto annexed. A notification, as required by sub-section (1) of the said section, defining the said area as the area within which for a period of ten years commencing from the 29.09.2020 and ending on the 28.09.2030, the carrying out field firing and artillery practices periodically, in the extra-ordinary issue of the “Bihar official Gazette”, dated the 01.10.2020 with S.O. No 5058 dated the 29.09.2020 and a notification in respect of the same as required by sub-section (3) of the said section publishing the intention to issue this notification has been previously published in extra-ordinary issue of the “Bihar Gazette”, dated the 22.12.2020 with S.O. No.- 6796, dated the 18.12.2020.

Schedule-1

Particulars and boundary of the land-area.

The length and width of the 100 meter baffle firing range situated in the Group Center, Central Reserve Police Force, Mokama Ghat, Patna is 100 meter and 30 meter respectively. Its boundry wall is approximately 30 feet high. **River Ganga is situated in the north of the firing range. There is no population in the south direction. Village**

Sikahrichak is located in south at a distance of 100 meter. CRPF camp is situated in the east and in the west side a crematory, guard room, roofed sitting place and barren land is situated at a distance of 1 kilometer. The above mentioned land is given to The CRPF camp, Mokama Ghat by Railways. Land record details of the land are as follows:-

Mauja	Thana no.	khata no.	Khesra no.	Area	Type of Land
Sikharichak	26	205	1 and 4	2-97 Acres+	Kaiser-E- Hind, Khanta- Railway

By the order of the Governor of Bihar,
(Sd)-Illegible,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 125-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>